

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक :- प.25(5)आयु./2020 पार्ट

जयपुर, दिनांक :- 06 MAR

आदेश

वर्तमान में ऋतु परिवर्तन जन्य मौसमी बीमारियों से बचाव एवं आवश्यक औषधीय परामर्श की आवश्यकता है। उपर्युक्त को मध्यनजर रखते हुए आपके अधीनस्थ समस्त चिकित्साधिकारियों एवं अन्य कार्मिकों को इस कार्य हेतु पाबन्द करे, साथ ही उनके समस्त अवकाश (अपरिहार्य कारणों को छोड़कर) निरस्त करे।

ऋतु परिवर्तन जन्य होने वाली मौसमी बीमारियों के लिए तत्काल चिकित्सालय/औषधालय में आवश्यक/उपलब्ध औषधियों की आपूर्ति करे तथा रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यवाही अभियान स्वरूप करने हेतु आवश्यक निर्देश अपने स्तर पर जारी करे।

आपके स्तर पर किये गये समस्त रोकथाम उपायों एवं चिकित्सा परामर्श आदि की सूचना शासन को प्रस्तुत करे।

इसकी पूर्ण पालना सचेष्टता से करें।

(आर.पी. ऋतुर्वेदी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय आयुर्वेद विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग अजमेर।
4. निदेशक, होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा विभाग जयपुर।
5. कुलसचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर।

(बाबू लाल मीना)
सहायक शासन सचिव

निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक- प.3/सामा/मौ.बी./2020/ 4841

दिनांक 07-03-2020

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. उपशासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान।
3. अतिरिक्त निदेशक, राजकीय आयुर्वेद रसायनशालाएँ, अजमेर।
4. समस्त व्यवस्थापक, राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, राजस्थान।
5. समस्त उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान।
6. प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को दी जाकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर आज ही अपलोड करावें।
7. सामान्य पत्रावली।

नोट- क्रम संख्या 2,3,4 एवं 5 को दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार के आदेशों की पालना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही संबंधी सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।

(महेन्द्र माथुर)
सहायक निदेशक